

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com Phone - 07771-241349, Fax 243731

क्र./मा.चि./ 2018/1258
प्रति,

मनेन्द्रगढ़/दिनांक 06/07/2018

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त
अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for widening & upgrading to 2 Lane with paved shoulder of NH-78 (New NH - 43) Katni - Gumla Road from Manendragarh to Dumariya (Baikunthpur) under NH corridor scheme in the State of Chhattisgarh, area - 36.99 ha. - regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/21393/2016

- संदर्भ :-**
1. अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/1817 रायपुर दिनांक 15.06.2018
 2. आपका पत्र क्र./मा.चि./2355 अम्बिकापुर दिनांक 18.06.2018

— 00 —

विषयांतर्गत निवेदन है कि Public Works Department National Highway Zone Chhattisgarh द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत Widening & Upgrading of NH - 43 हेतु मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र 36.99 हेक्टे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रतिवेदन के पार्ट-02 के अंतर्गत कमियों में निम्नलिखित बिन्दुवार सुधार किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	अ.प्र.मु.व.सं. द्वारा प्रकरण में पाई गई कमियाँ	निराकरण
1	मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर द्वारा प्रेषित 27 बिन्दु के चेक लिस्ट संलग्न नहीं है।	मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर द्वारा 27 बिन्दु के चेक लिस्ट संलग्न किया जावेगा।
2	मुख्य वनसंरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Time Line संलग्न नहीं किया गया है।	वनमण्डलाधिकारी द्वारा Time Line में हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है। संलग्नक क्र. 1
3	कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate अपलोड नहीं किया गया है।	कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate अपलोड करा लिया गया है।
4	कोरिया वनमण्डल अंतर्गत प्रकरण में ऑनलाईन फार्म - ए, पार्ट-2 District wise area to be diverted in the division निरंक दर्शित है। सुधार आवश्यक है।	कोरिया वनमण्डल अंतर्गत प्रकरण में ऑनलाईन फार्म - ए, पार्ट-2 District wise area to be diverted in the division निरंक दर्शित है। जिसे ऑनलाईन अपडेट किया गया है।
5	प्रकरण में ऑनलाईन फार्म में पार्ट - 02 में Legal status of forest land proposed for diversion total area = 34.8 दर्शित है। परन्तु फार्म - ए, पार्ट - 01 में कुल व्यपवर्तित क्षेत्र 36.99 हेक्टे. है।	प्रकरण में ऑनलाईन फार्म में पार्ट - 02 में Legal status of forest land proposed for diversion total area = 34.8 दर्शित है। परन्तु फार्म - ए, पार्ट - 01 में कुल व्यपवर्तित क्षेत्र 36.99 हेक्टे. है। जिसे सुधार कर लिया गया है।
6	वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत अपलोड नहीं किया गया है।	वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अपलोड कर लिया गया है।
7	मुख्य सचिव द्वारा जारी गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आर.एफ./पी.एफ. का	मुख्य सचिव द्वारा जारी गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 259 में संलग्न है। वनमण्डल में नारंगी

चयन किया गया है जो मान्य नहीं है। गैर वनभूमि, निजी भूमि, राजस्व भूमि, राजस्व वन भूमि अथवा नारंगी वनक्षेत्र दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा डी.जी.पी. एस सर्वे रिपोर्ट सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करें। प्रस्ताव प्रेषित करते समय मुख्य वनसंरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी का नाम, सील एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित करें अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं किया जावेगा। यह प्रक्रिया समस्त प्रस्तावों के लिए अपनाई जाये।	वनक्षेत्र नहीं होने के कारण दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया है जिसका डी.जी.पी.एस सर्वे कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ प्रेषित संलग्नक क्र. 3 में डी.जी.पी.एस सर्वे संलग्न प्रेषित है। प्रस्ताव में वनमण्डलाधिकारी के नाम, सील एवं दिनांक अंकित किया गया है।
---	--

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भित पत्र के साथ इस कार्यालय को मूलतः प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ऑनलाईन सुधार कर आवश्यक कार्यवाही कर अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

 वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़
मनेन्द्रगढ़/दिनांक 06/07/2018

पृ.क्र./मा.चि./ 2018/1259
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. कलेक्टर कोरिया, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभिर्यता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

 वनमण्डलाधिकारी

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़



o/c